इल्मे हदीस - हदीस की किस्में और हदीस की किताबे

मौलाना मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी.

एक हज़ार मुन्तखब हदीसे बुखारी, मुस्लीम, मिश्कात शरीफ हिन्दी.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहिम

इल्मे हदीस सीखने वाले के लिए कुछ आदाब

{1} हदीस के इल्म सही और खालिस निय्यत के साथ सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हासिल करे.

{2} हदीस के इल्म नाम कमाने और दुनिया के मकसदो के लिए हरगीज हासिल ना करे वरना कुछ फायदा ना होगा.

{3} अल्लाह से दूआ करते रहे की इस मुबारक इल्म के हासिल होने में अल्लाह की तौफीक हासिल रहे, हालात दुरूस्त रहे, कोई रूकावट और मुश्किल पेश ना-आए और अल्लाह हदीस के समझने में खुसूसी मदद फरमाते रहे और खातीमा इमान के साथ हो.

{4} रोजाना कुछ ना कुछ वकत या जितना ज़्यादा मुम्कीन हो हदीस के इल्म हासिल करने के लिए जरूर खर्च करे, बेहतर ये

है की किसी मोताबर और परहेजगार उस्ताद की शागिर्दी भी इख्तियार करे.

{5} उस्ताद की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करे और जो हदीस पढे या सुने उस पर अमल करने की कोशिश भी करे.

{6} हदीस के इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए और जो बात मालूम ना हो वहां आपनी राई से हरगिज ना बताए, बल्की ये कहे की में नही जानता.

{7} इल्म के हासिल करने में शर्म ना करे, जब भी कोई बात समझ में ना आए तो अपने उस्ताद या किसी और आलीम से पूछले और हर हदीस अच्छी तरह समझे.

{8} हदीस के इल्म हासिल करने में हदीस की मशहूर वा मोताबर किताबे 'बुखारी' और 'मुस्लीम' को तरजीह दे.

हदीस की परिभाषा

{1} कौली हदीस - रसूलुल्लाहﷺ का फरमान.

{2} फैली हदीस - रसूलुल्लाहﷺ का अमल.

{3} तकरीरी हदीस - रसूलुल्लाहﷺ की इजाजत. तकरीरी हदीस उससे कहते हे की रसूलुल्लाहﷺ की मौजूदगी में कोई काम किया गया हो, या कोई बात कही गई हो और आप उस पर खामोश रहे हो या मना ना किया हो.

{4} और रसूलुल्लाहﷺ की सिफात हुलिया, अखलाक, किरदार "सीफती हदीस" कहलाती है.

हदीस की किस्में (संक्षिप्तता के साथ)

{1} सही - जिसके तमाम रावी (रिवायत करने वाले) मोतबर, परहेजगार और काबिले एतिबार याददाश्त के मालिक हो और सनद मुत्तसिल हो. (मुत्तसिल के मायने 'लगातार' के हे, यानी सनद शुरू से आखिर तक मिली हुई हो, बीच से कोई रावी गायब ना हो).

{2} हसन - जिसके रावी सही हदीस के रावियों के मुकाबले में हाफिजे (याददाश्त) में तो कम हो, बाकि शर्तें (मोतबर, परहेजगार और सनद मुत्तसिल होने में) सही हदीस वाली मौजूद हो.

{3} मरफूआ - जिस हदीस में किसी सहाबी ने रसूलुल्लाहﷺ का नाम लेकर हदीस बयान की हो, वह मरफूअ कहलाती हे.

{4} मौकूफ - जिस हदीस में किसी सहाबी ने रसूलुल्लाहﷺ का नाम लिए बगैर हदीस बयान की हो या अपने खयाल का इजहार किया हो वह मौकूफ कहलाती हे.

{5} आहाड - जिस हदीस के रावी तादाद में मुतवातिर हदीसो के रावियों से कम हो वह आहाड कहलाती हे, आहाड की तीन किस्मे हे,

१) 'मशहूर' जिस हदीस के रावी हर जमाने में दो से ज़्यादा रहे हो.

२) 'अजीज' जिसके रावी हर जमाने में कम से कम दो रहे हो.

३) 'गरीब' जिस हदीस का रावी हर जमाने में कम से कम एक रहा हो, और हर रावी मोतबर, परहेजगार, काबिले एतिबार याददाश्त का मालिक रहा हो और सनद मुत्तसिल हो.

{6} मुतवातिर - जिस हदीस के रावी हर जमाने में इतने हो जिन्का झूठ पर इकट्ठे होना मुम्किन ना हो.

{7} मकबूल - जिस हदीस के रावियों की दियानत (ईमानदारी) और सच्चाई तस्लीम हो वह हदीस मकबूल कहलाती हे.

{8} गैर मकबूल - जिस हदीस के रावियों की दियानत और सच्चाई गैर यकीनी हो वह गैर मकबूल कहलाती हे.

{9} जईफ - जिस हदीस में ना तो सही हदीस की शर्तें मौजूद हो और ना ही हसन की. यानी जिस हदीस के रावियों में कोई रावी कमफहम, कमजोर हाफिजे वाला हो या सनद में एक या ज़्यादा रावी छूट गए हो.

{10} मौजूअ (मनगढत) - जिस हदीस का (कोई एक भी) रावी कज्जाब हो. 'कज्जाब' उस रावी को कहते हे जिस्से हदीस पाक में झूठ बोलना साबित हो चूका हो.

हदीस की किताबो की इस्तिलाहे (संक्षिप्तता के साथ)

{1} सिहाहे सित्ता - हदीस की 6 मशहूर किताबे- "बुखारी, मुस्लीम, अबू दाऊद, तिर्मेज़ी, नसाई और इबने माजा" को

‘सिहाहे सित्ता’ कहा जाता हे.

{2} जामे - जिस हदीस में इस्लाम से मुताल्लिक तमाम मबाहिस, अकीदे, अहकाम, तफसीर, फितन (फितनो का बयान), आदाबे जन्नत, दोजख वगैरह के हालात मौजूद हो वह जामे कहलाती हे. मसलन 'अस्सहीह बुखारी', 'तिर्मेज़ी'.

{3} सुनन - जिस किताब में सिर्फ अहकाम के मुताल्लिक हदीसे जमा की गई हो वह ‘सुनन’ कहलाती हे, मसलन ‘सुनन अबू दाऊद’, ‘सुनन नसाई’.

{4} मुसनद - जिस किताब में हर सहाबी की हदीसे तरतीब वार इकट्ठी कर दी गई हो वह ‘मुसनद’ कहलाती हे, मसलन ‘मुसनद अहमद’.

{5} मुस्तखरज - जिस किताब में एक किताब की हदीसे किसी दूसरी सनद से रिवायत की जाए वह ‘मुस्तखरज’ कहलाती हे, मसलन ‘मुस्तखरजुल इस्माईली अलल बुखारी’.

{6} मुस्तदरक - जिस किताब में एक मुहद्दिस की कायम की हुई शर्तों के मुताबिक वोह हदीसे जमा की जाए जो उस मुहद्दिस

ने अपनी किताब में दर्ज ना की हो, वह 'मुस्तदरक' कहलाती हे, मसलन 'मुस्तदरक हाकिम'.

"बुखारी शरीफ में सारी हदीसे सही हे और आज तक तमाम मुहद्दिसीन का इस पर इत्तिफाक (एक राई) हे".

अल्लाह का फरमान हे तर्जुमा

सूरह 49, आयत 6 ए मोमिनो ! अगर तुम्हे कोई फासिक (बदकार, व गैर मोतबर आदमी) खबर दे तो तुम उस्की अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो.

रसूलुल्लाहﷺ का फरमान हे

{1} अल्लाह उस शख्स को तारो ताजा रखे (यानी खुश हाल रखे और इज्जत व सम्मान इनायत फरमाए) जिसने मुझसे कोई हदीस सुनी फिर उस्को आगे पहुंचा दिया जैसा की सुना था. (तिर्मेज़ी)

{2} जब आदमी मर जाता हे उस्के अमल का सवाब रूक जाता हे, मगर तीन अमलो का सवाब बाकी और जारी रहता हे सदका-ए-जारिया, वह इल्म जिस्से नफा हासिल किया जाए, और नेक औलाद जो उस्के लिए दुआ करे. (मुस्लीम)

{3} जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चला, अल्लाह उस्के लिए जन्नत का रास्ता आसान करेगा. (मुस्लीम)